विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में सिविल मंत्रालयों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निहित है। इसमें 17 अध्याय है। अध्याय I एक संक्षिप्त परिचय देता है जबकि अध्याय II से XVI में विस्तृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियॉ प्रस्तुत की गयी है। अध्याय XVII मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई कार्रवाई टिप्पणी की सारांशीकृत स्थिति प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिये गये है।

कृषि मंत्रालय

पशु पालन, दुग्ध उत्पादन तथा मत्स्य पालन विभाग

दि.दु.यों में वित्तीय अनुशासनहीनता

दिल्ली दुग्ध योजना कृषि मंत्रालय के एक उपक्रम में, मार्च 2012 तक ₹ 838.67 करोड़ की राशि की संचित हानि हुई थी। लेखापरीक्षा ने इसके वित्तीय प्रबंधन में अनेक कमियां पायी। दि.दु.यो. में अपनायी गयी रोकड़ प्रबंधन प्रणाली लागत प्रभावी नहीं थी। विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदत्त अग्रिमों के संवितरण तथा समायोजन में भारी उल्लंघन पाए गये थे। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया था कि 2009-12 अवधि के दौरान दि.दु.यो. में व्यय लगभग 87 *प्रतिशत* से 90 *प्रतिशत* निजी जमा खाते में से किया गया था जिसका अर्थ है कि भु.ले.का. प्रणाली द्वारा निश्चित किए गए आवश्यक नियंत्रणों को नजरअंदाज किया गया था।

पैराग्राफ 2.1

निधियों का समय-पूर्व जारी करना

मंत्रालय ने रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. को "कटड़ों के संरक्षण तथा पालन" योजना के अंतर्गत एक अधूरे प्रस्ताव के आधार पर तथा योजना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 1.92 करोड़ की राशि जारी की। फलस्वरूप रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. द्वारा राशि का उपयोग न किए जाने के कारण निधियों का नौ माह से अधिक तक अवरोधन हुआ।

पैराग्राफ 2.3

नागरिक उड्डयन मंत्रालय

जी.एम.आर. हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड का या.से.शु. (एस.सी.) एसक्रो खाता

या.से.शु. (एस.सी.) निधि एसक्रो खाते से अमान्य व्यय

जी.है.अं.ह.अ.लि. ने या.से.शु. (एस.सी.) निधि एसक्रो खाते से ₹ 100.40 करोड़ का अस्वीकार्य व्यय किया था।

पैराग्राफ 3.1

विदेश मंत्रालय

सेवा प्रदाता को अनुचित वित्तीय लाभ

मंत्रालय द्वारा सम्पत्ति कर में वृद्धि के आधार पर सेवा प्रभार प्रति वीजा आवेदन वर्तमान दर से 12 *प्रतिशत* बढ़ाने की अनुमति के परिणामस्वरूप सेवा प्रदाता को अक्तूबर 2011 से दिसम्बर 2012 तक ₹ 3.45 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

पैराग्राफ 5.1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको)

नाको द्वारा क.वे.म. योजना खराब नियोजन तथा कार्यान्वयन को प्रदर्शित करती थी। मंत्रालय ने इस पर कोई विस्तृत व्यवहारिक अध्ययन नहीं किया। किसी वैध प्रलेखन अनुबंध के अभाव में, क.वें.म. की सुरक्षा एवं अनुरक्षण से संबंधित मामलों का संज्ञान नहीं लिया गया। परिणामस्वरूप परियोजना को नाको द्वारा बंद कर दिया गया था।

क.वें.म. द्वारा कंडोमों की बिक्री नाको के अनुमान की तुलना में बहुत कम थी। क.वें.म. के माध्यम से उच्च जोखिम क्षेत्रों में कंडोमों की सुलभता बढ़ाने के अभिप्रेत उद्देश्य, योजना के अंतर्गत ₹ 21.54 करोड़ के निवेश के बावजूद प्राप्त नहीं किया जा सका था। मंत्रालय द्वारा पहले से स्थापित कं.वे.म. की स्थिति की जानकारी लिए बिना चरण II के लिए जल्दबाजी में निधियों को जारी करना अनुचित था।

पैराग्राफ 6.1

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

सरकार द्वारा प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (प्र.म.स्वा.सु.यो.) की घोषणा (अगस्त 2003) सस्ती/विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलनों को सुधारने तथा देश में गुणवत्ता चिकित्सा शिक्षा हेतु सुविधाओं में संवर्धन के उद्देश्य से की गयी थी। आगामी तीन वर्षों में, पिछड़े राज्यों में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में उपलब्ध सुविधाओं के जैसी आधुनिक सुविधाओं से युक्त छः अस्पतालों की स्थापना प्रस्तावित की गयी थी।

छः एम्स जैसे संस्थानों के निर्माण के विभिन्न चरणों के लिए सलाहकारों तथा ठेकेदारों के चयन एवं किये गये भुगतान की प्रक्रिया की लेखापरीक्षा की गयी थी। लेखापरीक्षा ने परियोजना सलाहकारों के चयन तथा सलाहकारों एवं ठेकेदारों की भुगतान प्रक्रियाओं में कमियां पायी थीं। लामबन्द अग्रिमों के अनियमित निर्गम के मामले भी देखे गये थे।

पैराग्राफ 6.2

के.स.स्वा.से. में एलोपैथी औषधियों की अधिप्राप्ति

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिप्राप्त औषधियों में से 71 *प्रतिशत* फार्मूलरी से बाहर की थी इस तथ्य के बावजूद कि फार्मूलरी में औषधियों का मूल्य तुलनात्मक रूप से कम है। के.स.स्वा.से. ने (कम मूल्य ब्राडों की उपलब्धता के बावजूद अधिक मूल्य ब्रांडों की अधिप्राप्ति का सहारा लिया था।

संसदीय समिति की प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद सामान्य औषधियों पर ब्रांडेड दवाओं को प्राथमिकता दी जा रही थी। इसने खजाने पर उल्लेखनीय अतिरिक्त वित्तीय भार डाला। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित मुद्रा मूल्य केवल नमूना परीक्षित मामलों से संबंधित है जो वास्तविक अधिप्राप्ति का केवल एक छोटा *प्रतिशत* है। इसलिए, यदि संपूर्ण अधिप्राप्ति को सम्मिलित किया जाए तो ऐसे अनियमित गतिविधियों का मौद्रिक प्रभाव और अधिक होगा।

पैराग्राफ 6.3

क्षयरोधी दवाओं के कालातीत के कारण हानि

मंत्रालय के केन्द्रीय क्षयरोग प्रभाग द्वारा क्षयरोधी दवाईयों के प्रापण में अनुचित योजना के परिणामस्वरूप ₹ 5.06 करोड़ मूल्य की दवाईयों के कालातीत होने के कारण हानि हुई।

पैराग्राफ 6.4

गृह मंत्रालय

सशस्त्र सीमा बल

आवासीय क्वार्टरों के निर्माण पर अधिक व्यय

सशस्त्र सीमा बल ने आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा प्राधिकरण प्रतिमानों के अनुमोदन के पश्चात एक समयबद्ध प्रणाली से कदम नहीं उठाये। यह 108 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण पर ₹ 5.19 करोड़ के कीमत वृद्धि का कारण बना।

पैराग्राफ 7.1

सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.)

अनियमित अधिप्राप्ति

सी.सु.ब. की फील्ड दूरसंचार केबल के प्रापण के समय निर्धारित प्रावधानों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप कम से कम ₹ 1.45 करोड़ की हानि हुई।

पैराग्राफ 7.2

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्च शिक्षा विभाग

आकाश टेबलेट परियोजना में कमियां

मंत्रालय ने उनकी कार्य प्रचालन क्षमता को निश्चित किए बिना भा.प्रौ.सं. राजस्थान (भा.प्रौ.सं.रा.) द्वारा एल.सी.ए.डी.-आकाश को लॉंच किया। फलस्वरूप परियोजना भा.प्रौ.सं. बॉम्बे को सौंपी गई। इस प्रकार भा.प्रौ.सं.रा. द्वारा परियोजना पर किया गया ₹1.05 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त परियोजना को पूरा करने पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

पैराग्राफ 8.1

विद्यालयी शिक्षा तथा साक्षरता विभाग

अनुदान का अनियमित रूप से जारी करना

मंत्रालय ने मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने 372 मदरसों के लिए, योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित योग्यता शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये बिना वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार जम्मू व कश्मीर को ₹8.86 करोड़ की अनुदान राशि अनियमित रूप से जारी की गई।

पैराग्राफ 8.2

भारतीय प्रवासी कार्य मंत्रालय

भारतीय समुदाय कल्याण योजना के लिए आत्मनिर्णय समग्र निधि का सृजन न किया जाना

भारतीय प्रवासी कार्य मंत्रालय द्वारा भारतीय समुदाय कल्याण योजना हेतु संचित किए गए ₹23.95 करोड़ की आत्मनिर्णय समग्रनिधि का सृजन करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹1.00 करोड़ राशि के ब्याज की हानि हुई।

पैराग्राफ 10.1

पोत परिवहन मंत्रालय

प्रकाशस्तंभ एवं प्रकाशपोत निदेशालय

सुनामी के बाद से अं.सा.स्थि.नि.प्र. की पुनः स्थापना न होना तथा ₹ 75.14 लाख का निष्फल व्यय

विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण नियोजन के कारण सुनामी आने के आठ वर्ष के पश्चात भी आवश्यक मार्ग निर्देशन सहायताएं पुनः स्थापित नहीं की जा सकी थीं जो आगे दिसंबर 2006 में उपकरणों की खरीद पर ₹ 75.14 लाख, जिसे अभी भी स्थापित नहीं किया गया है के निष्फल व्यय का कारण बना।

पैराग्राफ 11.1

कपड़ा मंत्रालय

तैयार निर्मित फ्लेटों की खरीद में अत्यधिक विलंब के फलस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ

गुवाहाटी में आवासीय फ्लैटों के निर्माण में विलंब परिणामस्वरूप ₹ 1.67 करोड़ की ब्याज हानि एवं लागत में वृद्धि के अलावा सात वर्षों से अधिक समय के लिए ₹ 2.38 करोड़ का अवरोधन हुआ।

पैराग्राफ 12.1

पर्यटन मंत्रालय

विज्ञापन एजेंसियों को संचालन शुल्क का अनियमित भुगतान

फ्रैंकफर्ट, पेरिस, एम्सटर्डम तथा मिलान में स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालयों ने विज्ञापन एजेंसियों को पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के विपरीत प्रावधानों वाले एक कार्यकारी अनुबंध के आधार पर एजेंसी संचालन शुल्क का भुगतान किया था इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2009 से मई 2012 तक अवधि के दौरान ₹ 88.67 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।

पैराग्राफ 13.1

संघ शासित क्षेत्र

अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन

अण्डमान लोक निर्माण विभाग

निष्फल व्यय

अण्डमान लोक निर्माण विभाग की ओर से निर्माण कार्य के आरंभ से पूर्व तटीय विनियमन क्षेत्र प्राप्त करने की चूक तथा अपर्याप्त डिजाइन के परिणामस्वरूप ₹ 1.58 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा दो बांध के निर्माण पर ₹ 0.31 करोड़ का अतिरिक्त देयता हुई।

पैराग्राफ 14.1

पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय

सुरक्षा मुद्दों एवं लागू होने वाले अधिनियमों के साथ-साथ पो.प.मं., भा.स. और म.नि.पो.प. के अनुदेशों की उपेक्षा करते हुए, प.पो.से.नि. ने दो जहाजों के इंजनों के दोषपूर्ण डिज़ाइन अनुमोदित कर दिए जिसके कारण तीन वर्षों से अधिक के लिए जनता को उनकी सेवाओं से वंचित रखने के अलावा ₹ 16.35 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

पैराग्राफ 14.2

₹3.73 करोड़ के जुर्माने के साथ क्षति हेतु मरम्मत एवं पुनः सुधार की कीमत की वसूली न होना

पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय के जहाज की क्षति के प्रति मरम्मत की लागत के साथ ₹ 3.73 करोड़ को जुर्माना लगाने में निष्क्रियता के कारण श्रम नियोजन एजेंटों से वसूल नहीं हुआ था।

पैराग्राफ 14.3

जुर्माना की गैर-वसूली

पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय की जुर्माना लगाने में निष्क्रियता के कारण द्वीपों के मध्य समुचित संयोजकता उपलब्ध नहीं कराये जा पाने के अलावा भारतीय पोत परिवहन निगम से आम जनता के लिए ₹ 2.18 करोड़ की राशि वसूल नहीं हुई।

पैराग्राफ 14.4

श्रम नियोजन एजेंट को किया गया अधिक भुगतान

पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय अनुबंध के अनुसार पूर्व सक्षम अधिकारियों तथा कम योग्यता वाले अधिकारियों के मध्य अवकल-परिश्रमिकों की वसूली करने में असफल रहा, परिणाममतः ₹ 78.96 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

पैराग्राफ 14.5

ठेकेदारों को ₹ 58.43 लाख का अनियमित भुगतान

पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय ने खाद्य सामग्री के लिए ठेकेदारों को ₹ 58.43 लाख का अनियमित भुगतान किया, जिसकी वास्तव में आपूर्ति नहीं की गई थी।

पैराग्राफ 14.6

लक्षद्वीप प्रशासन

लैंडिंग नौकाओं के प्रापण में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 12.21 करोड़ के निष्फल व्यय हुआ

सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन की अनुबंध की धाराओं के अनुसार बैंक प्रतिभूतियों की समय पर नवीकरण में विफलता के परिणामस्वरूप, अपूर्तिदाताओं से ₹ 12.21 करोड़ की राशि की वसूली नहीं हो सकी।

पैराग्राफ 14.7

रॉडार ट्रांसपोडरों को संस्थापित न किया जाना

दूरसंचार विभाग (दू.वि.) से बेतार परिचालन लाइसेंस (बे.प.ला.) प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप रॉयल्टी/स्पेक्ट्रम प्रभारों के प्रति ₹ 1.17 करोड़ व्यय के बावजूद ₹ 1.52 करोड़ मूल्य के रॉडार ट्रांसपोडरों के संस्थापित नहीं किया जा सका।

पैराग्राफ 14.8

सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़ प्रशासन

सरकारी धन का दुर्विनियोजन

सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़ के पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग प्राधिकरण के रोकड़ काउंटर से प्राप्त धन को खजाने में प्रेषण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 25.68 लाख के सरकारी धन को दुर्विनियोजन हुआ।

पैराग्राफ 14.10

2013 का प्रतिवेदन सं. 19

चण्डीगढ़ प्रशासन-पुलिस विभाग

पुलिस बल की तैनाती हेतु प्रभारों की वसूली न होना

पंजाब क्रिकेट संघ (पं.क्र.सं.) तथा किंग्स XI, पंजाब को पुलिस बल प्रदान करने में नियमों की अनुपालन न करने के फलस्वरूप सं.शा.क्षे. प्रशासन, चण्डीगढ़ द्वारा ₹ 8.92 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

पैराग्राफ 14.11

चण्डीगढ़ भवन तथा अन्य निर्माण कार्य कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़

निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए एकत्रित ₹ 28.04 करोड़ के उपकर का उपयोग न होने के कारण उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लाभार्थ कल्याणकारी योजनाओं के गैर-कार्यान्वयन के कारण, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों एवं अन्य से एकत्रित ₹ 28.04 करोड़ के उपकर अप्रयुक्त रहे।

पैराग्राफ 14.12

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राष्ट्रीय महिला आयोग हेतु कार्यालय भवन के निर्माण में असामान्य विलम्ब

राष्ट्रीय महिला आयोग हेतु कार्यालय भवन 2001 में भूमि अधिग्रहित होने के बावजूद भी बनाया नहीं जा सका था। विलंब का कारण मुख्यतः दोषपूर्ण नियोजन था। परिणामस्वरूप, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को निर्माण गतिविधियों के लिए जारी ₹ 1.47 करोड़ की राशि मार्च 2004 से अवरूद्ध पड़ी हुई थी। काफी समय एवं अधिक व्यय के बावजूद, परियोजना अभी प्रारंभिक चरण में ही थी।

पैराग्राफ 15.1

युवा एवं खेल मंत्रालय

अनुदानों की अप्रभावी मॉनीटरिंग

मंत्रालय राष्ट्रमंडल खेल - 2010 से संबंधित अनुदानों के निर्गम को प्रभावी रूप से मॉनीटरिंग करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, ₹ 191.22 करोड़ की निधियां 17 से लेकर 26 महीनों की अवधि तक भा.खे.प्रा. के पास पड़ी रही। इसने अनुदानों के उपयोग को नियंत्रित करने वाली संस्वीकृतियों के प्रावधानों का उल्लंघन किया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय भा.खे.प्रा. को अनुवर्ती अनुदान देने के पूर्व ₹ 22.12 करोड़ राशि के अव्ययित अनुदानों पर अर्जित ब्याज को ध्यान में रखने में विफल रहा था।

पैराग्राफ 16.1